/

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– मुसप्र / नीलामी / 2017 / 438 दिनांक :– 25/7/17

आदेश

मंडल की प्रताप नगर आवासीय योजना, सेक्टर–8 में स्थित आवासीय भूखण्ड की मोहरबन्द नीलामी द्वारा निस्तारित करने की स्वीकृति हेतु उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम के प्रस्तावानुसार नीलामी के माध्यम से निम्नानुसार निस्तारण किए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	आवासीय भूखण्ड / फ्लेट संख्या	संख्या
1	आवासीय भूखण्ड संख्या 3/ए (फ्लेट सं. 82/13 से 82/16)	04
	कुल	04

उक्त आवासीय भूखण्डों का निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है :–

1. आवासीय योजना में आवास / फ्लेट / आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम / अन्तिम आदेशों के जरिये याचि को आवास / फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं हैं।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवारा / फ्लेट / आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मंडल के आदेशांक राजस्व / 11 / 2014–15 / 37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास / फ्लेट / आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास / फ्लेट / आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं है। निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन / शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास / फ्लेट / आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास / भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत / अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त आदेशों को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य संपदा प्रबंधक